

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन
तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु **ई-नीलामी विक्रय नोटिस**

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूतिदाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित/वास्तविक कब्जा/सांकेतिक कब्जा (इनमें से जो भी लागू होता हो) प्रतिभूत लेनदार के द्वारा लिया गया है, को "जहां है जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर निम्नलिखित ऋणियों एवं जमानतदारों से बैंक/प्रतिभूत लेनदार की निम्नलिखित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु निम्न दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम धनराशि निम्नलिखित है:-

ई नीलामी दिनांक : 31.08.2026 (ई-नीलामी का समय : प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 5.00 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असिमित विस्तार के साथ)
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 30.08.2026 रात्रि 11.00 बजे तक

ऋणी/बंधनकर्ता का नाम एवं बंधक संपत्ति का विवरण

**आरक्षित मूल्य
धरोहर राशि**

**मांग नोटिस दि.
कब्जा दिनांक
बकाया राशि**

निविदाकार अपने प्रस्ताव रु. 25000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र) के गुणांक में बढ़ा सकेंगे।

मेसर्स अग्रवाल ग्रेन स्टोर्स प्रो. राजेंद्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री नीलकंठ अग्रवाल श्री राजेंद्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री नीलकंठ अग्रवाल प्रो. मेसर्स अग्रवाल ग्रेन स्टोर्स 1. खसरा संख्या 56/3 क्षेत्रफल 2213 वर्ग फुट (अर्थात 205.66 वर्ग मीटर) वाली भूमि का वह भाग, जो ग्राम केकरा, पटवारी हल्का नं. 37/32, तहसील गढ़कोटा, जिला सागर, म.प्र. में स्थित है। सीमाएँ: पूर्व में - अनिल कुमार की भूमि, पश्चिम में - अशोक बगैरह की भूमि, उत्तर में - सागर दमोह रोड, दक्षिण में - भगवत की भूमि, संपत्ति मालिक: श्री राजेंद्र पुत्र श्री नीलकंठ अग्रवाल (सांकेतिक आधिपत्य)		06-11-2025 19-01-2026 ₹ 21478808.48 + देय ब्याज एवं अन्य खर्च
2. बंधक संपत्ति का पूरा भाग, जिसमें प्लॉट खसरा नं. 56/4 क्षेत्रफल 1092 वर्ग फुट या 101.48 वर्ग मीटर है, जो मौजा ग्राम केकरा, पटवारी हल्का नं. 37/32, तहसील गढ़कोटा, जिला सागर, म.प्र. में स्थित है। सीमाएँ: पूर्व में - नरेंद्र की भूमि, पश्चिम में - भगवत की भूमि, उत्तर में - सागर दमोह रोड, दक्षिण में - भगवत की भूमि, संपत्ति मालिक: श्री राजेंद्र पुत्र श्री नीलकंठ अग्रवाल (सांकेतिक आधिपत्य)	(₹) 2,18,05,200.00	संपत्ति 1, 2, 3 एवं 4
3. खसरा नं. 18/3 (मोड़ के बाद नया खसरा नं. 18/3/2) क्षेत्रफल वाली संपत्ति का वह भाग, जो 0.98 हेक्टेयर या 2.45 एकड़ भूमि में से 0.40 हेक्टेयर या 4000 वर्ग मीटर है, जो मौजा ग्राम केकरा, पुराना लोक निर्माण नं. 26/37, नया लोक निर्माण नं. 32, तहसील गढ़कोटा, जिला सागर में स्थित है, सीमाएँ: पूर्व में - बालाप्रसाद का खसरा नं. 20, पश्चिम में - नरेंद्र कुमार अग्रवाल का खसरा नं. 18/2/2, उत्तर में - राजेंद्र कुमार अग्रवाल का खसरा नं. 18/3/1, उसके बाद की भूमि, दक्षिण में - सागर दमोह रोड, संपत्ति मालिक: श्री राजेंद्र कुमार पुत्र श्री नीलकंठ अग्रवाल (सांकेतिक आधिपत्य)	(₹) 21,80,520.00	संयुक्त रूप से बेची जाएंगी।
4. बंधक संपत्ति का वह भाग जिसमें खसरा नं. 18/3 (मोड़ के बाद नया खसरा नं. 18/3/1) क्षेत्रफल - 0.5800 हेक्टेयर या 5800 वर्ग मीटर भूमि शामिल है, जो 0.98 हेक्टेयर या 2.45 एकड़ में से है, जो मौजा ग्राम केकरा पुराने पटवारी हल्का नं. 26/37 नए पटवारी हल्का नं. 32, तहसील - गढ़कोटा, जिला - सागर में स्थित, सीमाएँ: पूर्व में - खसरा नं. 12 का क्षेत्र, पश्चिम में - नरेंद्र कुमार अग्रवाल के खसरा नं. 18/2/1 और 18/2/2 तथा संध्या रानी के खसरा नंबर 18/4, उत्तर में - आफत के खसरा नं. 16 और नरेंद्र अग्रवाल के खसरा नं. 17, दक्षिण में - राजेंद्र कुमार अग्रवाल के खसरा नं. 18/3/2, संपत्ति मालिक: श्री राजेंद्र कुमार पुत्र श्री नीलकंठ अग्रवाल (सांकेतिक आधिपत्य)		

नियम एवं शर्तें :- 1. विक्रय सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम व शर्तों के आधीन होगा तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा। 2. सम्पत्तियों की बिक्री "जहां है जैसा है एवं जिस अवस्था में है" के आधार पर होगी। 3. ऊपर वर्णित सम्पत्तियों का विवरण प्रतिभूत लेनदार को प्राप्त जानकारी के आधार पर है। किन्तु प्रतिभूत लेनदार किसी भी त्रुटि, गलत जानकारी, घोषणा में चूक लिये जिम्मेदार नहीं होगा। 4. विक्रय अधिकृत ऑनलाइन ई-नीलामी सेवा प्रदाता के द्वारा दिनांक 31/08/2026 को वेबसाइट <https://baanknet.com> पर किया जायेगा। इच्छुक बोली लगाने वाले / खरीददारों को नीलामी के उचित समय से पहले बैंक से मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता **PSB Alliance** के संबंधित ई-नीलामी वेब पोर्टल <https://baanknet.com> में रजिस्ट्रेशन कर अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को ट्रांसफर करना होगा। यदि ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ईएमडी राशि उपलब्ध नहीं है, तो सिस्टम बोली लगाने की अनुमति नहीं देगा। बिक्री के विस्तृत नियम व शर्तों के लिए <https://baanknet.com> और www.pnb.bank.in पर देखें।

दिनांक: 28/07/2026, स्थान: कटनी

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक